महेश प्रिन्टिंग प्रेस, बड़ीसादड़ी

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बड़ीसादड़ी

किस्म मुकद्दमा 53 R.T. Act बनाम श्री शोभालाल नं. 60/18 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट रावरेड़ावास पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि भांगीलाल मोदी, मार्फत/वास्ते वल्लभ शोभालाल मोदी, आदि व अन्य के खिलाफ अप्रतिवादीगण व अन्य के खिलाफ शोभालाल मोदी वगैरह द्वारा अपनी तहरीर कि बटवारा फरीकैन मय	

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा उमेदपुरा की मा.न. 397, 398, 523, 524, 525, 526, 527, 543, 563 की आपसी राजीनामा द्वारा बटवांड़ा किया जो की गोड़ल लिखा गया फिरत जावे।

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
SDO
उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official